Duplicate Duplicate

राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, राँची
भवन प्लान पास संख्या 946/07
स्वीकृति के क्रम में अनुज्ञा पत्र

झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम 2001 की धारा 37 एवं राँची भवन उपनियम के अंतर्गत प्रस्तावित भवन निर्माण / वर्तमान भवन में परिवर्धन / परिवर्तन के नक्शे में निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति दी जाती है :-

(1) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के कम से कम 15 (पन्द्रह) दिनों के पहले विहित प्रपत्र में सचिव को सूचित करेंगे।

(2) निर्माण कार्य की समाप्ति पर प्राधिकार के पंजीकृत आर्किटेक्ट / वास्तुकार / सुपरवाईजर द्वारा विहित-प्रपत्र में प्रमाण-पत्र देंगे कि उनके तकनीकी पर्यवेक्षण में कार्य किया गया है।

(3) रोड विस्तार हेतु छोड़ी गई भूमि पट्टी / पट्टीयों को छोड़कर ही चाहरदीवारी का निर्माण करना होगा।

(4) स्वीकृत भवन प्लान में दर्शायी गयी रोड चौड़ीकरण हेतु छोड़ी गयी भूमि निःशुल्क सरकार / प्राधिकार को रोड विस्तार, विकास हेतु उपलब्ध करायेंगे।

(5) नक्शे की स्वीकृति मात्र तीन वर्षों के लिए वैध रहेगी। उसके उपरांत नियमानुसार अनुज्ञा का पुनर्नवीकरण कराना अनिवार्य होगा।

(6) स्वीकृत नक्शे से विचलन मान्य नहीं होगा।

(7) भवन प्लान की स्वीकृति ... ... पाया जाता है कि आवेदक ने गलत बयान देकर स्वीकृति प्राप्त की है तो झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम की धारा 38 के अन्तर्गत भवन प्लान की स्वीकृति रद्द कर दी जायेगी।

(8) अन्य कोई शर्तें।

05.02.?7
कार्यपालक अभियन्ता
राँ० क्षे० वि० प्रा०, राँची

उपाध्यक्ष के आदेशानुसार
सचिव
5/2/09

शर्त : भवन निर्माण के दौरान भवन निर्माण से संबंधित कोई भी सामग्री सड़क पर नहीं रखना है। सड़क पर कोई सामग्री पाये जाने पर प्रतिदिन रू० 100 के दर से जुर्माना किया जायेगा।

नक्शा स्वीकृति की तिथि से 6 महीने के अन्दर पूर्व से निर्मित संरचना जो स्वीकृति भाग के अतिरिक्त है उसे तोड़ कर हटा लेना होगा।